राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर

क्रमांक प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/म.ले.नि./2019–20/ 4933-48 दिनांकः–28/9/21

निदेशक
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक कृषि गुण नियंत्रण/ (शष्य)/
ज.उ.प्र.,मुख्यालय/(पौध–व्याधि)/(गुण–नियंत्रण)
/(वनस्पति)/राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण
प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार) खण्ड बीकानेर/जालौर/
भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/
कोटा/सीकर/उदयपुर।

संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन),
भरतपुर।

विषयः– महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (अंकेक्षण अनुभाग) की अ.शा. टीप क्रमांक प.4(1) वित्त/अंकेक्षण/19 दिनांक 25.08.2021 एवं विभागीय पत्रांक 6427–29 दिनांक 23.10.2019 6016–47 दिनांक 08.01.2021, 2793–2842 दिनांक 09.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.4(1) वित्त/अंकेक्षण/19 दिनांक 25.08.2021 जोकि प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज0 जयपुर को संबोधित है के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण के दौरान वांछित विभागीय अभिलेख/सूचनायें समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने के संबंध में अवगत कराया है। जबकि इस संबंध में पूर्व में भी महालेखाकार / शासन के स्तर से जारी दिशा–निर्देशों की पालना में समय–समय पर विभाग द्वारा आयुक्तालय के समस्त योजना प्रभारियों/अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता रहा है। परन्तु इसके बावजूद भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति विभाग / अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अनवरत जारी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है इस संबंध में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थित होने वाले महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा चाहे अनुसार वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज (हार्ड व सॉफ्ट डेटा के रूप में) का संधारण कराने, अंकेक्षण दलों को उपलब्ध कराने एवं रिकॉर्ड उपलब्ध ना कराने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण आदि के संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वार जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जावे तथा संलग्न पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना में विभागीय अभिलेख/सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराने का भी श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

AG File work-9

PTO

क्रमांक प.3(iv) / आ.कृ. / लेखा / म.ले.नि. / 2019–20 / 4933-48 दिनांकः–28/2/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राज0, जयपुर।
2) निजी सचिव, श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग, राज0, जयपुर।
3) संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप अपने स्तर से भी पत्र पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु परिपत्र जारी करवाने का श्रम करावें।
4) प्रभारी अधिकारी– संबंधित शाखा ....।
5) ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि

AG File work-10